

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/प-121/2011/ 707

दिनांक : 8/6/11

—: आदेश :-

निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना इन्स्टिट्यूशनल एरिया, दूरदर्शन के पास, जयपुर द्वारा आयोजित दिनांक 23.08.11 से 05.09.11 तक Foundation Course हेतु निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारियों को मनोनीत किया जाता है :-

क्रं. सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	पदस्थापन स्थान
1.	डा० बालमुकुन्द जेतवाल	चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र बघेरा (अजमेर)
2.	डा० अल्का राजतंवर	चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र माचेडी (अलवर)
3.	डा० बसन्त कुमार सिंघल	चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र कोटडा (बासवाडा)
4.	डा० गौरव कुमार गर्ग	चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र बजरंग गढ (बांरा)
5.	डा० बनवारी लाल यादव	चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र गिराब (बाडमेर)
6.	डा० गौरव सिंघल	चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र देहरा (भरतपुर)
7.	डा० दिलीप कुमार सोनी	चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र मानुपरा (भीलवाडा)
8.	डा० गणेश भगवान आसोपा	चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र अक्कासर (बीकानेर)
9.	डा० भूपेन्द्र सिंह	चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र नमाना (बून्दी)
10.	डा० हिमानी मौर्य	चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र मण्डफिया (चित्तौडगढ)
11.	डा० धमेन्द्र शर्मा	चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र लालासर बनीरोथान (चूरु)
12.	डा० हंसराज वर्मा	चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र विरोधा (धौलपुर)
13.	डा० बनवारी लाल मीणा	चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र सैथल (दौसा)
14.	डा० इन्द्रसेन झाझरा	चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र पोहारीखाटुरत (झुंजरपुर)
15.	डा० ज्योती यादव	चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र कोटावाली (हनुमानगढ)
16.	डा० अक्वितिका अलोरिया	चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र गोविन्दा (जयपुर)
17.	डा० महावीर सिंह	चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र जामडोली (जयपुर)
18.	डा० नमिता गर्ग	चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र तूंगा (जयपुर)
19.	डा० राजीव सिंह	चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र सांकडा (जैसलमेर)
20.	डा० चम्पालाल	चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र केसवाना (जालौर)
21.	डा० इमरान खान	चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र देहीखेडा (झालावाड)
22.	डा० चन्द्रप्रकाश सैनी	चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र पपूरना (झुन्झुनू)
23.	डा० जगदीश चौधरी	चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र खुडी (जोधपुर)
24.	डा० सत्यवीर सिंह गुर्जर	चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र शेरपुर (करौली)
25.	डा० सुनीता सिंघल	चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र मोडक (कोटा)
26.	डा० दीपक चौधरी	चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र गोटेन (नागौर)
27.	डा० मनोहर लाल मीणा	चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र बीसलपुर (पाली)
28.	डा० दीपक कुमार गुप्ता	चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र मुनगाना (प्रतापगढ)
29.	डा० प्रशान्त पाटीदार	चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र लाम्बोडी (राजसमन्द)
30.	डा० उषा रानी	चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र सूरवाल (सवाईमाधोपुर)
31.	डा० राजेश कमलानी	चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र कुन्दन (सीकर)
32.	डा० शिखा मीणा	चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र पावटा (जयपुर)
33.	डा० बलवीर सिंह	चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र करदोली (सीकर)
34.	डा० ओम प्रकाश	चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र धोंद (सीकर)
35.	डा० सुधेश कुमार	चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र नगावा (सीकर)

उक्त सभी चिकित्सकों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कोर्स में भाग लेने हेतु दिनांक 22.08.11 को सांयकाल निर्धारित स्थान पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवायेगें अन्यथा श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव महोदय के पत्रांक प.(6)ट्रेनिंग(पी.एल.-2)आरएचएसडीपी/07/4405

दिनांक 14.06.07 के अनुसार में अनुपस्थित रहने पर प्रशिक्षण राशि इनके वेतन से वसूली की जावेगी एवं सीसीए नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही भी प्रस्तावित की जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं की होगी। मुख्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उक्त मनोनीत प्रशिक्षणार्थी को विशेष कठिन परिस्थिति होने पर उनके स्थान पर अन्य उस चिकित्सक को मनोनीत करेंगे जिसने पूर्व में यह प्रशिक्षण नहीं लिया हो साथ ही प्रशिक्षण में जाने वाले चिकित्सक को यह भी निर्देशित करावे कि प्रशिक्षण के दौरान केवल प्रशिक्षणार्थी हेतु ही आवास व्यवस्था की गई है, इसलिए अन्य (पारिवारिक सदस्य/मित्र को भी) किसी को भी वहां ठहरने की अनुमति नहीं दी जावेगी।

नोट :- यात्रा भत्ता टैक्सी/स्वयं की कार इत्यादि का यात्रा भत्ता देना नहीं है

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/प-121/2011/707

दिनांक : 8/8/11

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. मिशन निदेशक, एनआरएचएम, मुख्यालय जयपुर।
3. निजी सहायक, परियोजना निदेशक (आरएचएसडीपी), मुख्यालय जयपुर।
4. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना इन्स्टिट्यूशनल एरिया, दूरदर्शन के पास, जयपुर को उनके पत्रांक 2361 दिनांक 14.07.11 के सन्दर्भ में भेजकर लेख है कि प्रशिक्षण में उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों की सूचना एवं प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले प्रशिक्षणार्थियों की सूचना भिजवावे, ताकि उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जा सके।
5. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जयपुर/कोटा/भरतपुर/उदयपुर/जोधपुर/बीकानेर/अजमेर।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजकर लेख है कि आपके अधीन कार्यरत उक्त चिकित्सक को उक्त प्रशिक्षण में दिनांक 22.08.11 को सांय प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित करते हुए कार्यमुक्त करें।
7. संबंधित चिकित्सक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वैबसाइट पर डलवाने की व्यवस्था करावे।
9. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अति० निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।